महात्मा गांधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 की अधिसूचना 7 सितंबर, 2005 को जारी की गई थी।

## 1.1 उद्देश्य

इस अधिनियम का उद्देष्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुषल षारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को
एक वित्त वर्श में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।

## 1.2 लक्ष्य

पद्ध रोजगार के अवसर उपलब्ध कराके ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक लाभवंचित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा।

| | |
|---|---|
| पपद्ध | टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियों के सृजन, उन्नत जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के जरिए निर्धनों<br>के लिए आजीविका सुरक्षा।<br>ग्रामीण भारत में सूखा रोधन और बाढ़ नियंत्रण। |
| पपपद्ध | |
| पअद्ध अधिकार आधारित कानूनी प्रक्रिया के जरिए सामाजिक रूप से लाभवंचित, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति और | |
| अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार संपन्न बनाना।<br>विभिन्न गरीबी उपशमन और आजीविका संबंधी पहलों में तालमेल के जरिए विकेंद्रीकृत, भागीदारी–पूर्ण नियोजन को | अद्ध |

सुदृढ़ करना।
अपद्ध पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करके जमीनी स्तरों पर लोकतंत्र को मजबूत करना।
अपपद्ध शासन में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।
इस प्रकार, मनरेगा सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए ग्रामीण भारत
में समावेशी विकास सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम हो।

## 1.3 कवरेज

इस अधिनियम को 2 फरवरी, 2006 से पहले चरण में 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था और बाद में वित्त वर्ष
2007–2008, में इसे और 130 जिले में लागू किया गया (113 जिले 1 अप्रैल, 2007 से अधिसूचित किए गए और उत्तर प्रदेश
में 17 जिले 15 मई, 2007 से अधिसूचित किए गए थे)। मनरेगा के अंतर्गत शेष बचे जिलों की अधिसूचना 1 अप्रैल, 2008
को जारी की गई थी। इस प्रकार, मनरेगा संपूर्ण देश में लागू है। इसमें उन जिलों को छोड़ दिया गया है जहां शत–प्रतिशत
शहरी आबादी है।

## 1.4 प्रतिमानात्मक बदलाव

पद्ध मनरेगा ने मानव इतिहास में सबसे विशाल रोजगार कार्यक्रम को सफल बनाया है और यह अपनी व्यापकता, संरचना और

उद्देश्य में किसी अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रम से अलग है। इसकी बॉटम–अप, जन–केंद्रित, मांग आधारित, स्व–चयनित,
अधिकार आधारित डिजाइन विशिष्ट और अद्वितीय है।
पपद्ध मनरेगा में मजदूरी रोजगार को कानूनी गारंटी दी गई है।
पपपद्ध यह मांग आधारित कार्यक्रम है जहां कार्य का प्रावधान मजदूरी मांगने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई कार्य की मांग से प्रेरित
होता है।
पअद्ध मांग किए जाने पर कार्य उपलब्ध न कराए जाने तथा किए गए कार्य के लिए मजदूरी के भुगतान में विलंब होने की स्थिति
में भत्ता और मुआवजा दोनों का कानूनी प्रावधान है।
अद्ध मनरेगा लाभार्थियों के चयन की स्व–लक्षित व्यवस्था के जरिए लक्ष्यीकरण की समस्याओं को दूर करता है अर्थात् बड़ी
संख्या में अत्यंत निर्धन और सीमांत व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत रोजगार मिलता है।



अपद्ध अधिनियम राज्यों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि कार्यक्रम की शत–प्रतिशत अकुशल श्रम
लागत और 75प्रतिशत सामग्री लागत का वहन केन्द्र द्वारा किया जाता है।
अपपद्ध पूर्ववर्ती आबंटन आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से परे मनरेगा मांग आधारित है और प्रत्येक राज्य में रोजगार
की मांग के आधार पर केन्द्र से राज्यों को संसाधन का अंतरण किया जाता है। इससे राज्यों को निर्धनों की रोजगार
संबंधी जरूरतों को पूरा करने में अधिनियम का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है।
अपपपद्ध समय पर कार्य उपलब्ध कराने में असफल रहने पर सहवर्ती वित्तीय निरुत्साहन का भी प्रावधान है क्योंकि तब राज्यों को
बेरोजगारी भत्ते की लागत का वहन करना पड़ता है।
पगद्ध लागत के हिसाब से कम से कम 50प्रतिशत कार्यों का कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को
वित्तीय संसाधनों के प्रत्यायोजन का यह क्रम अभूतपूर्व है।
गद्ध शुरू किए जाने वाले कार्यों के स्वरूप और चयन से संबंधित योजनाओं और फैसलों, प्रत्येक कार्य को शुरू किए जाने वाले
क्रम, स्थान का चयन आदि पर निर्णय ग्राम सभा की खुली बैठकों में किया जाएगा तथा ग्राम पंचायत इसकी अभिपुष्टि
करेगी। प्रशासनिक अनुमति दिए जाने से पहले ग्राम सभा मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर निविष्ट किए गए
कार्यों को अनुमोदित करेगी और उनका क्रम निर्धारित करेगी। ग्राम सभा उन्हें स्वीकृत, संशोधित या अस्वीकृत कर सकती
है।
गपद्ध उच्चतम प्राधिकरण इन निर्णयों को रद्द नहीं कर सकता है। वे केवल अधिनियम और इसके परिचालन दिशानिर्देशों के
प्रावधानों के अनुपालन की सीमा सुनिश्चित कर सकते हैं।
गपपद्ध इस बॉटम–अप, जन–केंद्रित, मांग आधारित संरचना का यह आशय भी है कि मनरेगा की सफलता के लिए जिम्मेदारी
का एक बड़ा हिस्सा मजदूरी मांगने वालों, ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के पास है।
गपपपद्ध मनरेगा समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका सृजन परिप्रेक्ष्य में पूर्व के राहत कार्यक्रमों से भी मुक्ति दिलाता
है।
गपअद्ध सामाजिक लेखा परीक्षा एक नई विशेषता है जो मनरेगा का एक अभिन्न हिस्सा है। संभवतः यह विशेष रूप

से नए
स्टेकहोल्डरों के लिए निष्पादन की एक अभूतपूर्व जवाबदेही तय करता है।
गअद्ध मनरेगा के परिणामों पर केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद (सीईजीसी) द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष केन्द्र
सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है। इसी प्रकार राज्य रोजगार गारंटी परिषदों द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्टें
राज्य सरकारों द्वारा राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत करनी होती है ताकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने में मदद
मिल सके।
कार्यक्रम के मूलतः नए अध्यायों को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अभिनव दृष्टिकोणों की जरूरत होती है। इससे यह सुनिश्चित
होगा कि मनरेगा के कार्यान्वयन के बिल्कुल अंतिम स्तर पर वास्तविक रूप से मनरेगा के नए तत्वों को साकार किया जा रहा
है। इस अनुपालन को सुगम बनाने के लिए ही ये परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

## 1.5 रोजगार गारंटी योजनाएं तैयार करना

राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजना में अनुसूची–ब में विनिर्दिष्ट न्यूनतम विशेषताओं का प्रावधान होगा। अधिनियम के तहत
बनाई गई किसी भी राज्य–योजना के तहत तैनात किए गए व्यक्तियों को अधिनियम की अनुसूची–ब में सूचीबद्ध न्यूनतम
सुविधाएं मिलेगी।
इसके अलावा योजनाएं इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित परिचालन मानदण्डों के अनुसार चलेगी। इस प्रकार बनाई गई योजना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) कहलाती है। राष्ट्र स्तरीय नाम और लोगो अनिवार्य
है। सभी आईईसी क्रियाकलापों और सामग्रियों के लिए इसी लोगो का इस्तेमाल किया जाएगा।
अधिनियम में किए गए निर्धारण के अनुसार केन्द्र और राज्यों के बीच लागत–वहन आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के
रूप में मनरेगा को क्रियान्वित किया जाता है।



महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) के कार्यान्वयन में ग्राम से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के अनेक स्टेकहोल्डरों की भूमिकाएं एवं
जिम्मेदारियाँ शामिल हैं। मुख्य स्टेकहोल्डर इस प्रकार हैंः

1ण मजदूरी मांगने वाले
2ण ग्राम सभा
3ण त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं, विशेषकर ग्राम पंचायत
4ण ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी (पी.ओ.)
5ण जिला कार्यक्रम समन्वयक (डी.पी.सी.)
6ण राज्य सरकार
7ण ग्रामीण विकास मंत्रालय
8ण सिविल सोसायटी
9ण अन्य स्टेकहोल्डरों (अर्थात् लाइन विभाग, कन्वर्जेंस विभाग, स्व–सहायता समूह आदि)

## 2.1 ग्राम स्तर

### 2.1.1 मजदूरी मांगने वाले

मजदूरी मांगने वाले इस कार्यक्रम के मूलभूत स्टेकहोल्डर हैं। उनके अधिकारों का इस्तेमाल तथा कार्य की मांग

मुख्य प्रक्रियाओं
के प्रमुख प्रेरक हैं। मजदूरी मांगने वालों के अधिकार इस प्रकार हैं
पद्ध पंजीकरण के लिए आवेदन

| | |
|---|---|
| पपद्ध<br>पपपद्ध | जॉब कार्ड प्राप्त करना<br>कार्य के लिए आवेदन और दिए गए आवेदन की तारीखयुक्त पावती लेना |
| पअद्ध आवेदन किए गए कार्य की अवधि और समय की पसंद | |
| अद्ध | आवेदन देने या यदि पहले से आवेदन दिया गया हो तो कार्य मांगे जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, इनमें से जो<br>भी बाद का हो, कार्य प्राप्त करना। |

अपद्ध कार्यस्थल पर क्रेच, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा आदि की सुविधाएं।
अपपद्ध 5 कि.मी. के दायरे से बाहर रोजगार दिए जाने के मामले में 10 प्रतिषत अतिरिक्त मजदूरी पाने का अधिकार
अपपपद्ध अपने मस्टर रोलों की जांच करने तथा उनके जॉब कार्डों में प्रविष्ट किए गए उनके रोजगार से संबंधित सभी जानकारी
प्राप्त करने का अधिकार

| | |
|---|---|
| पगद्ध | मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार या किसी भी हालत में इस कार्य को किए जाने की तारीख से अधिक से<br>अधिक 15 दिनों में किया जाएगा। |

गद्ध यदि आवेदन प्रस्तुत करने या अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तारीख से कार्य की मांग की जाती है, इनमें से जो भी
बाद का हो, उसके 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार
होगा।
गपद्ध रोजगार के दौरान चोट लगने की स्थिति में चिकित्सा उपचार जिसमें अस्पताल की लागत, यदि आवश्यकता हो, तथा
रोजगार के दौरान विकलांग या मृत्यु होने पर अनुग्रह भुगतान शामिल होगा।

### 2.1.2 ग्राम सभा

ग्राम सभा मजदूरी मांगने वालों की बातें सुनने और उनकी मांगों को पूरा करने का प्रमुख मंच है। अधिनियम के अंतर्गत ग्राम
सभा के निम्नलिखित अधिकार और जिम्मेदारियाँ हैं:



| | |
|---|---|
| पद्ध | यह मनरेगा के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यों की सिफारिश करती है और मनरेगा के अंतर्गत जिस क्रम में कार्य<br>शुरू किए जाएंगे, उस कार्य को निर्धारित करने वाला अंतिम प्राधिकरण है।<br>ग्राम पंचायत में कार्यों के निष्पादन की निगरानी करना<br>यह सामाजिक लेखा परीक्षा कराने का प्रमुख मंच है। इसमें ग्राम पंचायत से कार्यान्वित किए गए मनरेगा कार्यों के संबंध<br>में ग्राम पंचायत सहित सभी कार्यान्वयन एजेंसियों से सभी प्रकार की सम्बद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी निवासियों<br>के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। |
| पपद्ध<br>पपपद्ध | |

### 2.1.3 वार्ड सभा

वार्ड सभा, ग्राम सभा की तरह कार्य करती है। (जहां–कहीं भी यह कार्य कर रही है)।

## 2.1.4 ग्राम पंचायत (जीपी)

ग्राम पंचायत नियोजन और कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है। जहां संविधान का भाग–प लागू नहीं है, वहां
संबंधित राज्य द्वारा अधिदेशित स्थानीय परिषदोंध्प्राधिकरणों को सम्बद्ध जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। कार्यक्रम अधिकारी
कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को लागत के हिसाब से कम से कम 50 प्रतिषत कार्य आबंटित करेंगे। ग्राम पंचायत निम्नलिखित
कार्यों के प्रति जवाबदेह हैः–

पद्व पंजीयन के लिए आवेदन प्राप्त करना।

| | |
|---|---|
| पपद्व<br>पपपद्व | पंजीयन के आवेदनों का सत्यापन करना।<br>परिवारों को पंजीकृत करना। |
| पअद्व जॉब कार्ड जारी करना। | |
| अद्व | कार्य के लिए आवेदन प्राप्त करना। |

अपद्व कार्य के इन आवेदनों के लिए तारीख युक्त पावती जारी करना।

अपपद्व कार्यान्वयन एजेंसी पर ध्यान दिए बगैर आवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर या अग्रिम आवेदन के मामले में कार्य
मांगे जाने की तारीख से, इनमें से जो भी बाद का हो, कार्य आबंटित करना।

अपपपद्व कार्य की मांग का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक रूप से सर्वे कराना।

| | |
|---|---|
| पगद्व | कार्यों का निर्धारण और नियोजन, परियोजनाओं का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने सहित परियोजनाओं की सूची तैयार करना। यह सूची संवीक्षा और प्राथमिक अनुमोदन के लिए कार्यक्रम अधिकारी को भेजी जाती है।<br>अपेक्षित तकनीकी मानकों और मापों को पूरा करने वाले कार्यों को निष्पादित करना।<br>अध्याय–10 में विनिर्दिष्ट किए गए अभिलेखों का रखरखाव करना। |
| गद्व<br>गपद्व | |

गपपद्व खातों का रखरखाव करना तथा केन्द्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए फार्मेट में उपयोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना।

गपपपद्व प्रत्येक वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों एवं उपलब्धियों वाली रिपोर्ट
तैयार करना और जनता द्वारा मांग किए जाने पर योजना में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने पर उन्हें इसकी प्रति
उपलब्ध कराना।

गपअद्व जागरुकता सृजन और सामाजिक जागरुकता।

गअद्व नियोजन और सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाना।

गअपद्व सामाजिक लेखा–परीक्षा के प्रयोजनार्थ ग्राम सभा को मस्टर रोल, बिल, वाउचर, मापन पुस्तिका, मंजूरी आदेशों की प्रति
और अन्य संबंधित खाता–बही तथा कागजात सहित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराना।

गअपपद्व ग्राम स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी करना।

गअपपपद्व **पैरा 13.7** में दिए अनुसार, अपनी ओर से निम्नलिखित जानकारी देनारू

क) **अनुबंध–1** के अनुसार कार्यस्थलों पर

ल पूरे हो चुके तथा चल रहे (दी गई मजदूरी और सामग्री घटक सहित) कार्यों का ब्यौरा।

(ख) **अनुबंध–2** के अनुसार ग्राम पंचायत कार्यालयों और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर

ल फॉर्मेट में ऐसे व्यक्तियों के नाम जो काम कर चुके हैं, जितने दिन कार्य किए गए हैं और उन्हें दी गई मजदूरी।



ल सामग्री की आपूर्ति करने वाली एजेंसी के नामों के साथ प्रत्येक परियोजना के लिए खरीदी गई सामग्री की मात्रा और मूल्य।

गपगद्ध सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को योजनाओं की लेखा परीक्षा नियमावली में विनिर्दिष्ट सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध
कराना।

## 2.2 ब्लॉक स्तर

### 2.2.1 कार्यक्रम अधिकारी (पीओ)

पीओ ब्लॉक स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए समन्वयक के रूप में कार्य करता है।
पीओ की मुख्य जिम्मेदारी इस बात को सुनिश्चित करना है कि जिन्होंने कार्य के लिए आवेदन किया है उन्हें 15 दिनों के भीतर
रोजगार मिल जाए। पीओ के अन्य महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं–
पद्ध संवीक्षा योजना में कार्यों से उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों को ब्लॉक योजना में समेकित करना और इसे संवीक्षा
और समेकन के लिए जिला पंचायत को भेजना।

| | |
|---|---|
| पपद्ध | ब्लॉक योजना में कार्यों से उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों को ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य की मांग के<br>सदृश बनाना।<br>कार्य की मांग का मूल्यांकन करने के लिए बेसलाइन सर्वे सुनिश्चित करना। |
| पपपद्ध | |
| पअद्ध ब्लॉक में ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के निष्पादन की निगरानी और | |
| पर्यवेक्षण करना।<br>सभी श्रमिकों को शीघ्र और पूर्ण मजदूरी का भुगतान तथा समय पर रोजगार न दिए जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते | अद्ध |

का भुगतान सुनिश्चित करना।
अपद्ध प्राप्त, रिलीज तथा इस्तेमाल किए गए संसाधनों का सही लेखा–जोखा रखना।
अपपद्ध ब्लॉक में शिकायतों का निवारण करना। पीओ प्रत्येक शिकायत को एक शिकायत रजिस्टर में दर्ज करेगा और तारीख एवं
संख्यायुक्त पावती जारी करेगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सभी शिकायतों सहित पीओ
के क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी शिकायतों का समाधान पीओ 7 दिनों के भीतर करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा
23(6) में विहित है। यदि कोई शिकायत किसी ऐसे मामले जिसका समाधान किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किया जाता है,
से संबंधित है तो पीओ प्रारंभिक छानबीन के बाद 7 दिनों के भीतर उस प्राधिकरण को यह मामला भेज देगा और इसकी
जानकारी शिकायतकर्ता को भी दी जाएगी।
अपपपद्ध सामाजिक लेखा परीक्षा करना और अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
पगद्ध सभी कार्यान्वयन एजेंसियों की सभी प्रकार की अपेक्षित जानकारी और रिकार्ड अर्थात् जैसे रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर,
कार्य रजिस्टर, ग्राम सभा प्रस्ताव, मंजूरियों (प्रशासनिक या तकनीकी या वित्तीय) की प्रतियां, कार्य प्राक्कलन, कार्य शुरू
करने का आदेश, मस्टर रोल, निर्गत एवं पावती रजिस्टर, मजदूरी भुगतान की जानकारी, सामग्री–बिल और वाउचर

(प्रत्येक कार्य के लिए), मापन पुस्तिका (प्रत्येक कार्य के लिए), परिसंपत्ति रजिस्टर, विगत सामाजिक लेखा परीक्षा पर की
गई कार्रवाई रिपोर्ट, शिकायत या शिकायत रजिस्टर।
गद्ध इस बात को सुनिश्चित करना कि सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई (एसएयू) को सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया के लिए
जिस किसी भी अन्य दस्तावेज की जरूरत है, वे अपेक्षित फार्मेटों में उचित रूप से संलग्न कर दिए गए हैंय और ग्राम
सभा की बैठक की तयशुदा तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व सामाजिक लेखा परीक्षा कराने में मदद करने के लिए
एसएयू को इसकी फोटोप्रतियां उपलब्ध करा दी गई हैं।

| | |
|---|---|
| गपद्ध | ग्राम पंचायतों के प्रत्येक क्लस्टर में ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए क्लस्टर लेवल फैसिलिटेशन दल (सीएफटी) बनाना। |

गपपद्ध सीएफटी द्वारा ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
गपपपद्ध नए खाते खोलने और श्रमिकों को समय पर एवं नियमित रूप से भुगतान करने के लिए बैंकों और डाकघरों के साथ
संपर्क। सभी तरह के पत्राचार और संवादों के लिए ग्राम पंचायतों और ब्लॉक के बीच और साथ ही ब्लॉक और जिला
के बीच संपर्क।
गपअद्ध ब्लॉक में एमजीएनआरईजीएस कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए शामिल किए गए सिविल सोसायटी संगठनों
(सीएसओ) की औपचारिक मासिक बैठकें बुलाना।



ब्लॉक स्तर पर अक्सर तहसीलध्ब्लॉक विकास अधिकारी जैसे कार्यकारी प्राधिकारी को पीओ के रूप में पदनामित किया जाता
है। इन प्राधिकारियों को अपने सामान्य कार्यों के अलावा पीओ की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना पड़ता है। कुछ मामलों
में, यह उन्हें मनरेगा के अंतर्गत सौंपी गई जिम्मेदारियों को कारगार रूप से क्रियान्वित करने से रोकेगा। इसलिए यह सुझाव
दिया जाता है कि ऐसे ब्लॉकों के लिए जहां अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजातिध्भूमिहीन श्रमिकों की आबादी काफी अधिक
है और जहां मनरेगा कार्यों की अधिक मांग होने की संभावना है वहां मनरेगा के लिए एक समर्पित पीओ होना चाहिए। समर्पित
पीओ को मनरेगा से सीधे न जुड़ी जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जानी चाहिए।
पीओ और डीपीसी के प्रति जवाबदेह है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न करने की जवाबदेही पीओ और उसके अधीन आने
वाले स्टॉफ की होगी तथा उन पर अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

### 2.2.2 मध्यस्तरीय पंचायत

मध्यस्तरीय पंचायत के कार्य इस प्रकार होंगेः–
पद्ध ब्लॉक स्तरीय योजना को अनुमोदित करना ताकि इसे अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत को भेजा जा
सके।
पपद्ध ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर शुरू की गई परियोजनाओं का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करना;
पपपद्ध राज्य परिषद द्वारा समय≤ पर सौंपे गए इसी प्रकार के अन्य कार्यों को क्रियान्वित करना।
पअद्ध जहां संविधान का भाग ग्लागू नहीं होता संबद्ध राज्य द्वारा लागू स्थानीय परिषदध्प्राधिकरण इन जिम्मेदारियों का निर्वाह
करेंगे।

## 2.3 जिला स्तर

### 2.3.1 जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी)

राज्य सरकार डीपीसी को पदनामित करती है जो या तो जिला पंचायत (डीपी) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिला
कलक्टर (डीसी) या उपयुक्त रैंक का कोई अन्य जिला स्तरीय अधिकारी हो सकता है। मनरेगा, 2005 और इसकी नियमावली
एवं दिशानिर्देशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार जिले में योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी डीपीसी की है। डीपीसी का
कार्य इस प्रकार होगारू–

पद्ध डीपी को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करना।

| | |
|---|---|
| पपद्ध | ब्लॉक स्तरीय योजनाएं लेना और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के साथ उन्हें समेकित करना<br>ताकि डीपी द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए उन्हें जिला योजना में शामिल किया जा सके।<br>परियोजनाओं की सूची को सही समय पर मंजूरी प्रदान करना। |
| पपपद्ध | |
| पअद्ध यह सुनिश्चित करना कि ब्लॉक एवं जिला स्तर पर शामिल की गई किसी भी नई परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दिए | |
| जाने से पूर्व इन्हें संबंधित ग्राम सभा द्वारा सुधार एवं प्राथमिकता तय करने हेतु पुनः प्रस्तुत किया गया है।<br>निधियों की समय पर रिलीज और उपयोग सुनिश्चित करना। | अद्ध |

अपद्ध मजदूरों को इस अधिनियम के अंतर्गत उनकी हकदारियों के अनुसार कार्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना।

अपपद्ध पीओ और मनरेगा कार्यों से संबंधित सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा, निगरानी और पर्यवेक्षण
करना।

अपपपद्ध चल रहे कार्यों की आवधिक जांच करना और मस्टर रोलों का सत्यापन करना।

| | |
|---|---|
| पगद्ध | इस बात को सुनिश्चित करना कि जहां कहीं भी प्रथम दृष्टया दुर्विनियोजन या वित्तीय अनियमितता का प्रमाण मिलता<br>है वहां ऐसे प्रत्येक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए।<br>इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लागत के हिसाब से कम से कम 50प्रतिषत कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों में परियोजना<br>कार्यान्वयन एजेंसियों की जरूरत होती है, जिले भर में पीआईए को नियुक्त करना।<br>अनुसूची–ब में शिकायत निवारण के संबंध में उल्लिखित जिम्मेदारियों को पूरा करना। |
| गद्ध | |
| गपद्ध | |

गपपद्ध जिले में मनरेगा के लिए सूचना, शिक्षा और संचार अभियान चलाना।

गपपपद्ध जिले के भीतर विभिन्न स्टेकहोल्डरों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना।

गपअद्ध राज्य सरकार को आवधिक प्रगति रिपोर्ट और नई जानकारियां प्रस्तुत करना।



गअद्ध यह सुनिश्चित करना कि सभी ग्राम पंचायतों में 6 माह में कम से कम एक बार सामाजिक लेखा परीक्षा कराई गई है
और सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना।

गअपद्ध इस बात को सुनिश्चित करना कि जॉब कार्ड जारी करने, कार्य के लिए आवेदनों को दर्ज करने, कार्य का आबंटन, मजदूरी स्लिप और निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) बनाने, किए गए कार्यों से संबंधित प्रविष्टियां, मजदूरी का विलंब से भुगतान और बेरोजगारी भत्ते सहित सभी प्रकार का लेनदेन केवल नरेगा सॉफ्ट के जरिए ही किया जाए।

गअपपद्ध इस बात को सुनिश्चित करना कि कार्य से संबंधित सभी प्रविष्टियां अर्थात् कार्यों की सूची का ब्यौरा, ग्राम पंचायत की बैठक, कार्यान्वयन की स्थिति, तीन विभिन्न स्तरों पर किए गए कार्यों का फोटोग्राफ प्रत्येक अपेक्षित स्तर पर नरेगा सॉफ्ट में दर्ज कर लिए गए हैं। कार्य को पूरा करने संबंधी जानकारी यथाशीघ्र दर्ज की जानी चाहिए और किसी भी स्थिति में कार्य के पूरा होने से अधिक से अधिक 2 माह में यह जानकारी दर्ज हो जानी चाहिए।

गअपपपद्ध इस बात को सुनिश्चित करना कि कार्यान्वयन एजेंसियों और पंचायतों सहित जिला स्तरीय प्राधिकारियों को प्राप्त सभी निधियां ऐसी निधियां प्राप्त करने के अधिक से अधिक 2 दिनों के भीतर नरेगा सॉफ्ट में पोस्ट कर दिया गया है।

गपगद्ध इस बात को सुनिश्चित करना कि जिले में लाइन विभागों सहित सभी संबंधित अधिकारियों ने नरेगा सॉफ्ट में सभी आवश्यक प्रविष्टियां कर ली हैं।

### 2.3.2 जिला पंचायत

जिला पंचायतें निम्न के प्रति जवाबदेह हैं:–

| | |
|---|---|
| पद्ध | जिला योजना में वार्षिक ब्लॉक योजनाओं (जिले में) का समेकन करना। |
| पपद्ध | ऐसे किसी अंतर–ब्लॉक कार्य को शामिल करना जो उनके अनुसार रोजगार का अच्छा स्रोत होगा। |
| पपपद्ध | जिले में मनरेगा योजना की निगरानी और सर्वेक्षण करना। |

पअद्ध राज्य परिषद द्वारा समय≤ पर उन्हें सौंपे गए इसी प्रकार के अन्य कार्यों को पूरा करना।

## 2.4 राज्य स्तर

### 2.4.1 राज्य रोजगार गारंटी परिषद

मनरेगा की धारा 12 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार एक राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एसईजीसी) (या राज्य परिषद) की स्थापना करेगी। एसईजीसी की निम्नलिखित भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां हैरू.

पद्ध योजना के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना।

पपद्ध निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करना और बेहतरी का उपाय सुझाना।

पपपद्ध राज्य में योजना का मूल्यांकन और निगरानी करना।

पअद्ध अधिनियम की अनुसूची–I के पैरा 1ख (गअप) के तहत केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों की सिफारिश करना।

अद्ध इस अधिनियम और इसके अंतर्गत आने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी के व्यापक प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देना।

अपद्ध राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

### 2.4.2 राज्य सरकार

राज्य सरकार की जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैंरू–

पद्ध अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत राज्य जिम्मेदारियों से संबंधित मामलों पर नियम बनाना।
पपद्ध राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तैयार करना और इसकी अधिसूचना जारी करना।
पपपद्ध एसईजीसी की स्थापना करना।
पअद्ध राज्य स्तरीय एमजीएनआरईजीएस कार्यान्वयन एजेंसीधमिशन की स्थापना करना जिसमें पर्याप्त संख्या में अधिक योग्यता
वाले पेशेवर रखे जाएंगे।
अद्ध राज्य स्तरीय एमजीएनआरईजीएस सामाजिक लेखा–परीक्षा एजेंसीधनिदेशालय की स्थापना करना जिसमें पर्याप्त संख्या में
मनरेगा प्रक्रियाओं की जानकारी रखने वाले और सामाजिक लेखा परीक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने वाले लोग होंगे।



अपद्ध राज्य रोजगार गारंटी निधि की स्थापना करना।
अपपद्ध यह सुनिश्चित करना कि एमजीएनआरईजीएस बजट के राज्य अंश का प्रावधान किया गया है और इसे वित्त वर्ष के प्रारंभ
में एसईजीएफ में रिलीज कर दिया गया है ताकि इसे परिक्रामी निधि के रूप में उपयोग में लाया जा सके।
अपपपद्ध यह सुनिश्चित करना कि जहां कहीं भी जरूरत हो, मनरेगा को क्रियान्वित करने के लिए पूर्णकालिक समर्पित कर्मी विशेषकर
राज्य जिला और क्लस्टर स्तर पर रोजगार गारंटी सहायक (ग्राम रोजगार सहायक), पीओ और स्टॉफ मौजूद हैं।
पगद्ध डीपीसी और कार्यक्रम अधिकारी को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रत्यायोजित करना, जैसा भी योजना के प्रभावी
कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रतीत हो।
गद्ध प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के लिए पेशेवर एजेंसियों का एक नेटवर्क तैयार करना।
गपद्ध मनरेगा प्रक्रियाओं और इसके परिणामों की नियमित समीक्षा, अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन।
गपपद्ध सभी स्तरों पर योजनाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
गपपपद्ध राज्य में मनरेगा के बारे में संभावित व्यापक जागरुकता फैलाना।
गपअद्ध इस बात को सुनिश्चित करना कि मनरेगा श्रमिकों को जागरुक बनाने में शामिल सिविल सोसायटी संगठन एक माह में
कम से कम एक बार औपचारिक रूप से राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं।
गअद्ध अधिनियम, नियमावली और दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

## 2.5 केन्द्र स्तर

### 2.5.1 केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद (सीईजीसी) (या केन्द्रीय परिषद) की स्थापना की
गई है। अधिनियम के अनुसार सीईजीसी की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां इस प्रकार हैंरू–

| | |
|---|---|
| पद्ध | केन्द्रीय मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली स्थापित करनाय |
| पपद्ध | अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देनाय |

पपपद्ध समय≤ पर निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करना और आवश्यक बेहतरी के बारे में सिफारिश करनाय
पअद्ध योजनाओं के बारे में जानकारी संभवतरू व्यारपक प्रचार प्रसार करनाय
अद्ध इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करनाय
अपद्ध इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्टें तैयार करनाय

### 2.5.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमिकाएं एवं
जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:–
पद्ध अधिनियम के अंतर्गत नियमावली बनाना।

| | |
|---|---|
| पपद्ध<br>पपपद्ध | अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी करना।<br>राज्य सरकारों की मांगों के हिसाब से मनरेगा के अंतर्गत अनुमेय कार्यों की सूची की समीक्षा करना। |
| पअद्ध सीईजीसी का गठन। | |
| अद्ध | राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि का सृजन करना। |

अपद्ध मनरेगा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरीय कामकाज को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग में राष्ट्रीय प्रबंधन दल
(एनएमटी) बनाना।
अपपद्ध बजट आबंटन करना और समय पर केन्द्रीय अंश को रिलीज करना।
अपपपद्ध कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण पहलुओं डाटा एकत्र करने के लिए तथा निष्पादन संकेतकों के सेट के जरिए संसाधनों के
उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए एमआईएस बनाना और उसे संचालित करना।



| | |
|---|---|
| पगद्ध | अधिनियम के कार्यान्वयन में प्रभाविकता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को समर्थन देना<br>और उसे सुगम बनाना।<br>बेहतर परिणाम पाने के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण में मदद करना।<br>ऐसी अभिनव पहलों का समर्थन करना जो अधिनियम के उद्देश्यों को हासिल करने वाली प्रक्रियाओं को तीव्र करने में<br>मदद करती हैं। |
| गद्ध<br>गपद्ध | |

गपपद्ध मनरेगा के कार्य–निष्पादन की निगरानी, मूल्यांकन और अनुसंधान।
गपपपद्ध ऐसी एजेंसियों की सूची बनाना जिनका मनरेगा कार्यों के कार्यान्वयन के लिए पीआईए के रूप में राज्य सरकारों द्वारा
उपयोग किया जा सकता है और उनकी प्रशासनिक लागतों को पूरा करने के लिए उन्हे दी जा सकने वाली निधियों की
प्रतिशत लागत का निर्धारण करना।

## 2.6 सिविल सोसायटी

जमीनी स्तरों पर कार्य कर रहे सिविल सोसायटी संगठन (सीएसओ) मजदूरी मांगने वालों में जागरुकता सृजित करने और
मनरेगा के नियोजन, कार्यान्वयन और सामाजिक लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों और राज्य सरकारों की सहायता करने एवं
उनकी क्षमता निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्व–सहायता समूह जागरुकता फैलाने, कार्य के आयोजन,
हकदारियां तय करने और सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभा सकते हैं। **अध्याय–9** में इन कार्यों में
सीएसओ को तैनात करने वाले फ्रेमवर्क का वर्णन किया गया है।

## 2.7 अन्य स्टेकहोल्डर

अन्य महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों में निम्नलिखित शामिल हैं:

| | |
|---|---|
| प | सामाजिक लेखा–परीक्षा इकाई, सतर्कता एवं निगरानी समितियों के सदस्य। |

| | |
|---|---|
| द्ध<br><br>प<br>प<br>द्ध<br><br>प<br>प<br>प<br>द्ध | कार्यान्वयन एजेंसियों का तकनीकी स्टॉफ।<br>ऐसे विभाग जिनके साथ मनरेगा के साथ अभिसरण के लिए समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया है अर्थात् कृषि मंत्रालय,<br>वन और पर्यावरण मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पेयजल और<br>स्वच्छता मंत्रालय। |

पअद्ध वैसे विभाग जो मनरेगा से लाभान्वित होते हैं अर्थात् कृषि, जल संसाधनधसिंचाई, वन आदि।

इन स्टेकहोल्डरों की भूमिकाओं और जिम्मेद